



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128905

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19164 वर्ष 2026

विजनेश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मदन सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., राम शिरोमणि यादव

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मदन सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम शिरोमणि यादव और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद से संबंधित वाद अपराध संख्या- 30 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 351(3), 109(1), 115(2), 191(2), 191(3), 127(2) बी.एन.एस., 2023 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी सात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। आवेदक प्राथमिकी में नामजद नहीं है, यद्यपि यह घटना के तीन दिन बाद दर्ज की गई थी। कथित घटना दिनांक 24.01.2026 को हुई थी जबकि प्राथमिकी दिनांक 27.01.2026 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज कराने में हुए विलंब को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक का नाम घायल गवाहों द्वारा दिनांक 26.03.2026 को लिया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने घायल जितेन्द्र सिंह और मान सिंह की चोट रिपोर्ट की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। मान सिंह की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसकी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। जितेन्द्र सिंह की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसके सिर के बाईं ओर एक फटी हुई चोट आई थी, हालांकि वह चोट सामान्य प्रकृति की पाई गई थी। घायल जितेन्द्र के हाथ और पैर में फ्रैक्चर देखा गया था और उसकी चोट संख्या 2 और 3 गंभीर प्रकृति की थीं। शेष चोटें सामान्य प्रकृति की पाई गईं। यह आगे तर्क दिया गया है कि दिनांक 24.01.2026 को चिकित्सीय परीक्षण के समय घायल जितेन्द्र सिंह होश में था और सब कुछ जानता था, इसके बावजूद उसके द्वारा आवेदक का नाम नहीं लिया गया और इसलिए, कथित घटना के तीन दिन बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में आवेदक नामजद नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुरानी दुश्मनी के कारण घायल जितेन्द्र सिंह द्वारा आवेदक के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 27.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्राथमिक में नामजद सह-अभियुक्त बबलू का जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 9660 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से खारिज किया जा चुका है।

5. मैंने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदक- विजनेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।